

10/02/25

अधिकार अपीलेंट अनु. | अपीलेंट व उनके अधिकार
को न्यायालय से और से बार बार आवाजे लगाने के
बावजूद और उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली
अस्य हाजिरी अदम्य चैरबी में खारिज की जाती
है। पत्रावली फेसल सुमार होकर बाद आवश्यक
कार्रवाई दायित्व इफ्तार है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली